

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी: बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस  
राजस्व वादपत्र सं० दायरा दिनांक निर्णय दिनांक  
265/2014 01.10.2014 19.4.2016  
अनुवान

1. मूलचन्द उम्र करीब 62 साल
2. रतिराम उम्र करीब 59 साल
3. होशियार उम्र करीब 40 साल पुत्रान दौलतराम जाति जाट निवासी ग्राम जालाका तहसील कोटकासिम जिला अलवर।

:- वादीगण

बनाम:-

1. राजू पुत्र जगदीश
2. रामप्यारी बेवा जगदीश जाति पंजाबी जाट निवासी हाजीपुर तहसील बानसूर जिला अलवर।
3. कौशल्यादेवी पुत्री देशराज पत्नी मोहनलाल साकिन चिकानी तहसील अलवर।
4. शीलादेवी पुत्री देशराज पत्नी कृष्णकुमार निवासी कलगाँव तहसील तिजारा।
5. लीलादेवी पुत्री देशराज पत्नी प्रीतम निवासी ग्राम अलमदीका तहसील किशनगढबास (अलवर )
6. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी तहसीलदार, कोटकासिम

:- प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज  
वो हुकमईम्तनाईदवामी अंतर्गत धारा  
88, 89, 188 राज० टी० ऐ० 1955

उपस्थित:

1. श्री श्रीकप्तानसिंह भारद्वाज अधिवक्ता, वादीगण


निर्णय

वादीगण द्वारा एक वाद इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज व हुकमईम्तनाई दवामी अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस न्यायालय में पेश किया। वाद में वादीगण की ओर से तथ्य इस प्रकार वर्णन किये कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 283 रकबा 0-10 बिस्वा वाके ग्राम मुनपुर ठाकरान


1  
एप खण्ड अधिकारी  
कोटकासिम (अलवर)

तहसील कोटकासिम जिला अलवर मृतक देशराज पुत्र फग्गनराम कोम जाट पंजाबी निवासी मुनपुर ठाकरान तहसील कोटकासिम की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी थी। जो काबिज थे व सनद हकूक खातेदारी हासिल की थी। उक्त काबिज खातेदार श्री देशराज ने विवादित आराजी का बेचान मिन वादीगण को बाकब्जा बाजाप्ता प्रतिफल प्राप्त कर किया था व बयनामा नियमानुसार दिनांक 18/7/77 को तहरीर कराकर उप-पंजियक किशनगढबास कार्यालय मे पंजिबद्ध करा दिया था और उस दिन खरीद से आज तक हम वादीगण लगातार वो शान्तिपूर्वक बतौर खातेदार काबिज वो दखिल आ रहे है। मौका पर वास्तविक कब्जा है। मिन वादीगण आराजी के सदभावी क्रेता काबिज खातेदार काश्तकार है। मिन वादीगण जो कि ग्रामीण क्षेत्र के अनपढ किसान है ने अपना असल बयनामा तत्कालीन पटवारी हल्का को नामान्तरकरण हेतु दे दिया था और पटवारी हल्का ने आश्वासन दिया था कि उनका इंतकाल दर्ज हो गया है। बाद मे पटवारी का स्थानान्तरण हो गया व विक्रेता देशराज का स्वर्गवास हो गया व आराजी का नामान्तरकरण इन्द्राज बहक वादीगण नहीं हुआ। देशराज का स्वर्गवास होने के बाद उनकी विरासत का इंतकाल इन्द्राज प्रतिवादीगण के हक में दर्ज हुआ है। जबकि प्रति0 का विवादित आराजी से किसी भी प्रकार का कोई सरोकार वो सम्बंध या कब्जा काश्त न तो था, ना है जब स्वयं देशराज ही अपने जीवनकाल मे आराजी का बेचान कर चुका था तो बाद बेचान न तो देशराज के कोई हक हकूक कब्जा रहा, ना ही प्रतिवादीगण को हासिल होता है। मगर प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकोर्ड मे अमल होने के कारण वादीगण के हकूको पर कुठाराघात होता है। इसलिये वादीगण स्वयं को विवादित आराजी के खातेदार घोषित कराने व इसी कदर प्रतिवादीगण का नाम हाल जमाबंदी से कलमजन कराकर अपने नाम का अमल कराने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण न तो ग्राम मे रहते है, ना ही उनका कोई हक हकूक हित है वो गैरकाबिज गैरवास्ता है। हम वादीगण को इस गलत अमल का कोई ज्ञान नही था मिन वादीगण दिनांक 19/3/12 को हल्का पटवारी के पास नकल जमाबंदी वास्ते किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये लेने गये तो इस गलत अमल का ज्ञान हुआ। जिसके बाद मिन वादीगण ने बयनामा दिनांक 18/7/77 की नकल दिनांक 3/4/12 को प्राप्त कर प्रतिवादीगणो से उक्त गलत इन्द्राज को दुरुस्त कराने को कहा

2

  
एप खण्ड अधिकारी  
कोटकासिम (अलवर)

तो प्रतिवादीगण साफ इंकार हो गये व मिन वादीगण को बेदखल करने, कब्जा करने व दीगर लोगो को मुन्तकिल करने की धमकी दी। यदि प्रतिवादीगण अपनी इस बेजा कार्यवाही मे सफल हो गये तो वादीगण को हर सूरत मे नापूर्ति होने वाली क्षति होगी, दीगर मुकदमाबाजी मे फँसना पडेगा। अपने हकूक खातेदारी अधिकारो की आराजी से वंचित होना पडेगा। इसलिये वादीगण, प्रतिवादीगण को जरिये हुक्मईम्तनाई दवामी से पाबंद करवाने के अधिकारी है। वादीगण आराजी के काबिज खरीददार खातेदार काश्तकार है। राइट टाइटल वो इन्टरेस्ट हासिल है। प्रतिवादीगण गैरकाबिज गैरवास्ता है। हकूक वादीगण कानूनन रक्षित है। अतः अपने हकूको की रक्षार्थ वाद प्रस्तुत किया है। वाद हेतु बिनायदवामी वो बिनायमुखासमत दिनांक 19/3/12 होने जानकारी गलत अमल व दिनांक 3/4/12 इन्कारी दुरुस्ती व देने धमकी मुन्तकिली से पैदा होकर वाद अन्दर अवधि पेश है। प्रतिवादी सं० 6 को वादपत्र मे पक्षकार मुकदमा बनाने से पूर्व उसे 80 जा० दी० के तहत दो माह का कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है। परन्तु प्रतिवादीगण उक्त गलत इन्द्राज की आड मे विवादित आराजी को दीगर लोगो को बेचान करना चाहते है। जिससे कि मामला आवश्यक प्रकृति का हो जाने की वजह से प्रतिवादी सं० 6 को 80 जा० दी० का नोटिस दिया जाना संभव नही है। इसलिये उसे रफाए उजात 80 (2) जा० दी० का प्रार्थनापत्र अलग से पेश किया है। अतः प्रार्थना है कि वाद वादीगण बहक वादीगण विरुध प्रतिवादीगण अ. डिक्री इजराय इश्तकशरहक बहक वादीगण पारित की जाकर घोषित किया जावे कि वादीगण हाल खसरा नम्बर 283 रकबा 0-10 बिस्वा वाके ग्राम मुनपुर ठाकरान तहसील कोटकासिम के खातेदार है व इसी कदर हाल जमाबंदी मे प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण के नाम का अमल कराया जावे। ब. डिक्री इजराय हुक्मईम्तनाईदवामी पारित की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये हुक्मईम्तनाईदवामी से पाबंद किया जावे कि वो विवादित आराजी से वादीगण को बेदखल न करे, ना कब्जा करे, ना काश्त कार्य मे रूकावट करे, ना कही दीगर जग्गह रहन-बय हिबा वसीयत लीज आदि से खुर्द-बुर्द मुन्तकिल करे। स. हर्जा-खर्चा मुकदमा का हम वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे। द. अन्य सहायता जो नजदीक अदालत श्रीमान को अता फरमाई जावे।

  
एप खण्ड अधिकारी<sup>3</sup>  
कोटकासिम (बखवर)

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों के सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया।


प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब को सिविल प्रक्रिया संहिता में विहित प्रावधानों के अनुसार प्रतिवादी के जवाब को नहीं पढा गया तथा इसी कारण से वाद में तनकीयात कायम नहीं की गई।

वादी के द्वारा दस्तावेजात प्रदर्श 1 नकल बयनामा, प्रदर्श 2 जमाबन्दी सं० 2064 से 2067 पेश किये गये। साक्ष्य वादी पीडब्ल्यू 1 रतीराम, पीडब्ल्यू 2 मदनलाल, पीडब्ल्यू 3 जगदीश के शपथपत्र पेश किये।

वादी के वकील एक पक्षीय बहस सुनी गई।

वादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी को वादीगण ने जर्गे बयनामा दिनांक 18.07.1977 को क्रय किया था। बयनामा पटवारी को इंतकाल दर्ज करने हेतु दिया गया परन्तु पटवारी हल्का द्वारा इंतकाल दर्ज नहीं किया। देशराज फौत हो गया। उसकी फौतगी विरासत का इंतकाल प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गया। जो गलत दर्ज किया, जबकि प्रार्थीगण द्वारा आराजी को पूर्व में ही क्रय किया जा चुका था व खरीद वक्त से ही काबिज है। दिनांक 19.03.2012 को हमें पता लगा। नकल आदि प्राप्त कर दिनांक 03.04.2012 को प्रतिवादीगण ने दुरुस्ती से इन्कार करने पर दावा पेश किया है। प्रतिवादीगण का नाम वादीगण के हक हिस्से तक हजफ कर वादीगण के नाम दर्ज किया जावे व वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे। सबूत के दस्तावेजात पूर्व में पेश किये जा चुके हैं।

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर विचार किया गया। रिकार्ड का अवलोकन किया गया। दस्तावेज बयनामा के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 184/0-10 बिस्वा सनद खातेदार देशराज पुत्र फगुनराम जाट(पंजाबी) निवासी मूनपुर ठाकरान द्वारा वादीगण को दिनांक 18.07.1977 को बेचान किया जाना साबित है। इस बयनामा को किसी अदालत में चलेन्ज किया हो! ऐसी कोई साक्ष्य


  
एप वण्ड अधिकारी<sup>4</sup>  
बोटजाधिम (बचवर)

पत्रावली पर पेश नहीं की गई है। किन्हीं कारणों से बयनामा का नामान्तकरण दर्ज नहीं हो सका। जिससे विक्रेता देशराज मृतक के वारिसान के नाम इन्द्राज हो गया। जो गलत दर्ज हुआ। क्योंकि विवादित आराजी विक्रेता मृतक देशराज की खुद पैदा कर्दा आराजी थी जो उसे कीमतन आवन्तन हुई थी। जिसका उसे बेचान करने का पूरा अधिकार प्राप्त था व मृतक द्वारा किया गया बयनामा से वादीगण के हक कानून विवादित आराजी में वक्त बेचान से ही विद्यमान हो चुके थे तथा वर्तमान में वादीगण का कब्जा होना वाद के तथ्यों से साबित है। इसलिये वादीगण उक्त गलत इन्द्राज जो प्रतिवादी के नाम हाल खसरा नम्बर 283/0-10 बिस्वा पर दर्ज है को कलमजन कराने व वादीगण स्वयं खातेदारी दर्ज कराये जाने के अधिकारी साबित है तथा प्रतिवादीगण जयें हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबन्दी के अधिकारी है।

### आदेश

वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 283/0-10 बिस्वा वाके ग्राम मूनपुरठाकरान तहसील कोटकासिम जिला अलवर से प्रतिवादीगण 1 से 5 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है व उक्त आराजी पर वादीगण को खातेदार काश्तकार समभाग घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी की मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे व पर्चा डिक्री तैयार की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.4.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
18.4.16  
(बलवन्त सिंह लिप्री)  
उप स्वण्ड अधिकारी  
कोटकासिम (अलवर) राजः

# पर्चा डिक्री

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर

राजस्व वादपत्र सं०  
265/2014

पीठारसीन अधिकारी: बलवन्तसिंह लिप्री आर.ए.एस  
दायरा दिनांक 01.10.2014  
निर्णय दिनांक 18-04-2016

अनुदान

1. मूलचन्द उम्र करीब 62 साल
2. रतिराम उम्र करीब 59 साल
3. होशियार उम्र करीब 40 साल पुत्रान दौलतराम जाति जाट निवासी ग्राम जालाका तहसील कोटकासिम जिला अलवर।

:- वादीगण

बनाम:-

1. राजू पुत्र जगदीश
2. रामप्यारी बेवा जगदीश जाति पंजाबी जाट निवासी हाजीपुर तहसील वानसूर जिला अलवर।
3. कौशल्यादेवी पुत्री देशराज पत्नी मोहनलाल साकिन चिकानी तहसील अलवर।
4. शीलादेवी पुत्री देशराज पत्नी कृष्णकुमार निवासी कलगॉव तहसील तिजारा।
5. लीलादेवी पुत्री देशराज पत्नी प्रीतम निवासी ग्राम अलमदीका तहसील किशनगढवास (अलवर )
6. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी तहसीलदार, कोटकासिम

:- प्रतिवादीगण

दावः इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज  
वो हुक्मईग्तनाईदवामी अंतर्गत धारा  
88, 89, 188 राज० टी० ऐ० 1955

उपस्थित:

1. श्री श्रीकप्तानसिंह भारद्वाज अधिवक्ता, वादीगण


आदेश

वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 283/0-10 बिस्वा वाके ग्राम मूनपुरठाकरान तहसील कोटकासिम जिला अलवर से प्रतिवादीगण 1 से 5 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है व उक्त आराजी पर वादीगण

3  
अधिकारी  
(अलवर)

को खातेदार काश्तकार समभाग घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को हुक्मइस्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी की मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.04.2016 को मेरे हस्ताक्षर व मुहर न्यायाल से जारी की जाती है।

  
(बलवन्त सिंह लिप्री)  
उप सपण्ड अधिकारी  
कोटकासिम (अलवर) राज